

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

संख्या :- 145/2024

गौरीवाला 90 शंकराचल पाबीक बिन्दु-हल्द्वारा-पटवार-करेडा

बनाम

गौरीवाला 90 शंकराचल सुअर बिन्दु-हल्द्वारा-पटवार-करेडा-930

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत पदेन किया कि ग्राम पटवार पटवार हल्का पटवार तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 336 आराजी नम्बर 237, 235, 236, 237, 238, 245,

कुलकिता 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की सीमा के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पटवार पटवार हल्का पटवार तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 237, 235, 236, 237, 238, 245,

कुलकिता 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर भूमि दोनों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक प्रार्थीगण को 650/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व सीमा की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा